

न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

पत्र/16/2024

राज सरकार प्रवर्तन निरीक्षक रसद, जिला रसद कार्यालय भरतपुर


.....प्रार्थी

बनाम

श्री पिन्दू पुत्र महेश चंद जाति नाई ठाकुर निवासी राधा नगर भरतपुर

.....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, सपठित द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000



1-पैरोकार रसद

श्री. रसद अग्रवाल, अभिभाषक अप्रार्थी,

निर्णय

दिनांक 28.03.2025

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए ईसी एक्ट पेश किया गया है। संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 26.9.24 को प्राप्त सूचना के आधार पर जिला रसद अधिकारी भरतपुर के निर्देशन में प्रवर्तन स्टाफ हीरादास बस स्टेण्ड स्थित ठाकुर होटल पर पहुंचे। मौके पर होटल पर घरेलू गैस सिलेण्डर को रेग्युलेटर नली व चूल्हे के माध्यम से व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा था। अप्रार्थी ने घरेलू गैस सिलेण्डर के मौके पर भण्डारण के कोई वैध दस्तावेज पेश नहीं किये गये। अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक दुरुपयोग द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 का उल्लंघन होने के कारण मौके पर जप्त 04 घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात किये जाने की प्रार्थना की गई है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर रेस्पों को नोटिस धारा 6बी ई0सी0 एक्ट रजिस्टर्ड जारी किया गया। अप्रार्थी के अभिभाषक उपस्थित। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

पैरोकार रसद ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये जाहिर किया कि अप्रार्थी द्वारा 04 घरेलू गैस सिलेण्डर का बिना वैध दस्तावेजात के भण्डारण करना एवं मौके पर होटल की रसाई में व्यवसायिक उपयोग करता पाया गया है। मौके पर होटल में होटल व्यवसाय के कार्य में लिप्त पाये गये हैं। जब कि घरेलू गैस

(2)

प्रा0पत्र/16/2024

प्रवर्तन निरीक्षक रसद बनाम पिन्टू

सिलेण्डर घर की रसोई में होना चाहिये था। अप्रार्थी का यह कृत्य द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 का उल्लंघन होने के कारण घरेलू गैस सिलेण्डर एलपीजी राजसात किये जाने की प्रार्थना की गई।

योग्य अभिभाषक अप्रार्थी ने बताया कि होटल में घरेलू गैस सिलेण्डर व्यवसायिक उपयोग के लिये नहीं थे। प्रवर्तन स्टाफ ने जो सिलेण्डर जप्त किये हैं वे गैस सिलेण्डर घर के थे। गैस सिलेण्डर के कागजात दिखाये गये। गैस सिलेण्डर वापिस दिलाये जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया। होटल में मौके पर घरेलू गैस सिलेण्डर का होटल कार्य के लिये व्यवसायिक कार्य में लिप्त पाया गया है। जब कि घरेलू गैस सिलेण्डर घर की रसोई में होना चाहिये था। अप्रार्थी घरेलू गैस सिलेण्डरस का अवैध भण्डारण करना एवं वाणिज्यिक गतिविधी के लिये उपयोग करता पाया गया है। अप्रार्थी का यह कृत्य द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 का स्पष्ट उल्लंघन होने के कारण 04 घरेलू गैस सिलेण्डर राजसात किया जाना उचित पाते हैं। अस्तु प्रार्थना पत्र धारा 6 ए ईसी एक्ट स्वीकार किया जाने योग्य रहता है।

अतः आदेश है कि :-

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र धारा 6ए ईसी एक्ट स्वीकार किया जाता है। मोके पर जप्त 03 घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात (Confiscate) किया जाता है। जिला रसद अधिकारी भरतपुर को निर्देशित किया जाता है कि जप्त 04 घरेलू गैस सिलेण्डर सम्बन्धित कम्पनी में जमा करावें तथा खाद्य एवं नागरिक रसद विभाग के पत्रांक 86 (23)खा0ले0/6/89 जयपुर दिनांक 20.10.2000 के परिप्रेक्ष्य में उक्त गैस कम्पनी/आयल कम्पनी गैस सिलेण्डर से जो धन राशि प्राप्त होगी वह धन राशि कम्पनी द्वारा राजकोष में जमा कराई जावे। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी भरतपुर को प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 28.03.2025 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर,
भरतपुर